25

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0) R. 5521-दो/16

1. मुसम्मात महरनिया उर्फ महरानी पत्नी स्व0 श्री परमेश्वरदीन।
2. लालमणि पिता स्व0 श्री परमेश्वरदीन दोनो निवासी ग्राम वीरदत्त तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0) --------आवेदकगण

आवेदकगण की ओर से श्री आशीष चतुर्वेदी एड द्वारा पेश किया गया 30-11-16
30-11-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम्

1. हीरालाल पिता स्व0 श्री परमेश्वरदीन
2. आनंद कुमार पिता स्व0 श्री परमेश्वरदीन दोनो निवासी ग्राम वीरदत्त तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)
3. ललिता पुत्री स्व0 श्री परमेश्वरदीन पत्नी बालगोविन्द्र मिश्रा निवासी सा0 लढौती तहसील मैहर जिला सतना (म0प्र0)
4. प्रेमवती पुत्री स्व0 श्री परमेश्वरदीन ब्रा0 पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी सा0 मझियार तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना (म0प्र0)
5. वेदवाई पुत्री स्व0 श्री परमेश्वरदीन ब्रा0 पत्नी श्री अनिल त्रिपाठी निवासी साकिन रामपुर बघेलान जिला सतना (म0प्र0)

-------------अनावेदकगण

आवेदन पत्र निगरानी बिरुद्ध आज्ञा श्री तहसीलदार तहसील अमरपाटन बाबत् राजस्व प्रकरण 9ए27/15-16 आदेश दिनांक 18/11/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5521–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–4–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 9/ए–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–11–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार हुजूर द्वारा आदेश दिनांक 18–11–16 को आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत 6 नियम 17 सी0पी0सी0 का आवेदन निरस्त किाय गया है। आवेदकगण अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि तहसीलदार द्वारा विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया है। आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मात्र एक पंक्ति में आवेदक का आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है। तहसीलदार को आवेदक के आवेदन पर बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था। दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के आवेदन पर बोलता हुआ आदेश पारित करें। प्रकरण निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	